1. In the court of Abhishek K.Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari, B.P. No. 430/2026, dt. 17.03.2026, Pritesh Kumar vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

<u>जमानत आवेदन संख्या–430 / 2026</u>

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. प्रितेश कुमार वल्द अमीरखान सिंह उम्र करीब 20 वर्ष
ग्राम– चैनपुर ढाका, थाना–ढाका, जिला–पूर्वी चम्पारण ....आवेदक ।
बनाम
बिहार सरकार ....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री सुबोध कुमार ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

17.03.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्त प्रितेश कुमार की ओर से नगर थाना कांड संख्या–900/2025, धारा–303(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 09.01.2026 से कारा में है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक शहाबुद्दीन हुसैन का कथन है कि दिनांक 05.09.2025 को वह अपना मोटरसाईकिल अपने क्लिनिक रहमत नगर जानपुल के पास लगा कर नमाज पढ़ने के लिए गया था, उसी समय ग्लैम्बर निबंधन संख्या– बी.आर.05यू–5272 चोरो के द्वारा चोरी कर ली गई, जिसका सी. सी.टी.भी में घटना दर्ज है।

जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक के विरूद्ध कुण्डवा चैनपुर थाना कांड संख्या– 289/2025, दर्ज है। इसके सिवाय अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 09.01.2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसने आरोपित घटना को कारित

नहीं किया है, उसे इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। आवेदक प्राथमिकी में नामित नहीं है, न ही आवेदक के पास से कोई सामग्री बरामद हुआ है। अनुसंधान के कम में आवेदक को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक को केवल शंका के आधार पर इस मामले में आरोपित किया गया है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त नहीं है । प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज है। आवेदक का नाम अनुसंधान के कम में कांड दैनिकी की कंडिका–58 से उजागर हुआ है, जिसमें आवेदक को कुण्डवा चैनपुर थाना कांड संख्या–289/2025 में उपरोक्त चोरी के मोटरसाईकिल पर रखे 79.8 लीटर नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया जाना अंकित है। कांड दैनिकी की कंडिका–57 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध एक मामला कुण्डवा चैनपुर थाना कांड संख्या–289/2025 दर्ज होना अंकित है। आवेदक घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं हुआ है। आवेदक दिनांक 09.01.2026 से कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध आरोप की प्रकृति एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त प्रितेश कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक अनुसंधान में सहयोग करेगा।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 17.03.2026